रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 1983/जेष्ठ 10, 1905
No. 207] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 1983/JYASTHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 1983

सा. का. नि. 460(अ).—भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति, तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 14 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करता है कि इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर किसी वनस्पति एकक द्वारा छोटे पैकों में अर्थात् 1 कि.ग्रा., 2 कि.ग्रा., 4 कि.ग्रा. और 5 कि.ग्रा. के टिन के और उच्च घनत्व पोलीथीन के आधानों में या दोनों में किसी कलैण्डर मास के दौरान वनस्पति के उत्पादन को इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि वह तेल वर्ष 1981-82 के

दौरान छोटे पैकों में वनस्पति के मासिक औसत उत्पादन के 90 प्रतिशत से से अधिक न हो जाए .

परन्तु यह कि भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है और उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके वनस्पति के किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग को इस आदेश के उपबंधों से, छूट दे सकेगा ।

[सं. 13-वी.पी. (3)/82]

टी. आर. परमेश्वरन, वनस्पति तेल उत्पादक नियंत्रक

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 31st May, 1983

G.S.R. 460(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 14 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller of India hereby specifies that within three months from the date of the issue of this Order, the production of vanaspati by a vanaspati unit during any calendar month, in small packs, i e 1 kg, 2 kg, 4 kg, and 5 kg both in tin as well as in high density polythene containers shall be so regulated as not to exceed 90 per cent of its average monthly production of vanaspati in small packs, during the oil year 1981-82

Provided that the Vegetable Oil Products Controller for India may, if he is satisfied that there are sufficient grounds for so doing and for reasons to be recorded in writing, exempt any producer or class of producers of vanaspati from the provisions of this order.

[13-VP (3)/82]

T. R. PARAMESWARAN, Vegetable Oil Products Controller for India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983